न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर(अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
05 / 2011	06.01.2011	09.03.2021

उनवान

1 हरिकिशन पुत्र छाजूराम
2 जगमाल सिंह पुत्र छाजूराम
3 छोटा देवी पुत्री छाजूराम
4 भगवती पुत्री छाजूराम
5 सरला दवी पुत्री छाजूराम जातियान अहीरान निवासीयान चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

–: वादीगण

बनाम

1 रावत सिंह पुत्र मकतूल सिंह
2 मोहन सिंह पुत्र मकतूल सिंह
3 उदयभान पुत्र पूर्ण सिंह जातियान राजपूत निवासी सूरजपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
4 रामेश्वर पुत्र दुल्लाराम
5 सिंगाराम पुत्र दुल्लाराम
6 घासीराम पुत्र दुल्लाराम
7 टीकमचन्द पुत्र दुल्लाराम
8 भोपाल उर्फ लालसिंह
9 लक्ष्मी पुत्री दुल्लाराम
10 दलीप पुत्र गणेशी जाति अहीर
11 बलबीर पुत्र गणेशी
12 सतीश पुत्र गणेशी
13 राजेश पुत्र धीगंड
14 सरजीत पुत्री धीगंड
15 मु0 सुमन पुत्री वेदपाल
16 छत्रपाल पुत्र वेदपाल
17 तेजपाल पुत्र वेदपाल
18 रामपत पुत्र यादराम
19 छोटेलाल पुत्र यादराम
20 लालसिंह पुत्र यादराम
21 रामौतार पुत्र रोशनलाल
22 जसराम पुत्र रोशनलाल
23 जयराम पुत्र रोशनलाल
24 बाबूलाल पुत्र रोशनलाल
25 जीवराज पुत्र रोशनला
26 बिशम्बर पुत्र प्रभाती
27 रत्तीराम पत्रु कालू जाति अहीरान निवा[illegible]पुर तहसील [illegible] जिला अलवर राज0।
28 श्रीमान तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर [illegible]
29 श्रीमान राज0 सरकार जरिये जिलाधीश [illegible]
30 श्रीभान सिंह पुत्र पूर्ण सिंह
31 दशरथ सिंह पुत्र पूर्ण सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.31 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

32 मीरा पुत्री पूर्ण सिंह
33 कलावती पुत्री मकतूल सिंह जाति राजपूत निवासी सूरजपूरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

असल प्रतिवादीगण

34 किताब बेवा महेन्द्र
35 बिरेन्द्र पुत्र महेन्द्र जाति अहीर निवासी चाँदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावाः— इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राज. काश्तकारी अधि0

....

—: निर्णय :—

दिनांक :— **09.03.2021**

1. वादी का सारतः वाद पत्र रहा कि :—

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 202/1 रकबा 4 बीधा 6 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 203 रकबा 9 बीधा वाके ग्राम सुरजपुरा तहसील मुण्डावर जनक सिंह पुत्र बिडदसिंह जाति राजपूत निवासी सूरजपुरा की 1/4 भाग की कब्जे काश्त खातेदार की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी जिसमें खसरा न्म्बर 202/1 में से 1 बीधा व खसरा नम्बर 203 में से 1 बीधा आराजी तरफ दक्षिणी रूडा के सहारे सहारे वाली को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17.06.1968 के वादी के पिता छाजूराम व तरतीबी प्रतिवादीगण के दादा ने सम्मान में खारीद किया एवं वक्त खरीद से ही रजिस्ट्री के मुताबिक ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है।
2. यह है कि बन्दोबस्त विभाग ने वक्त बन्दोबस्त साबिक खसरा नम्बर 202 रकबा 4.06 के हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 2 बीधा 1 बिस्वा, 223 रकबा 0.01 बिस्वा, 222 रकबा 0.04 बिस्वा, 221 रकबा 2.01 बिस्वा बना दिये व साबिक खसरा नम्बर 203 रकबा 09 बीधा के हाल खसरा नम्बर 175 में सामिल रकबा 1.10, 176/1.15, 222/2.15,223/3.00 बीधा बना दिये।
3. यह है कि बन्दोबस्त विभाग ने खिलाफ मौका व खिलाफ कब्जा के राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीगण का नाम गलत अमल कर दिया जिस अमल से वादीगण को अजहद नुकसान है। जिसकी कीमत रूपयो में नही आकी जा सकती।
4. यह है कि मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17.06.1968 के जिस जगह वादीगण को तरफ दक्षिण रूडा के सहारे जा कब्जा 2 बिस्वा है। राजस्व नक्शे के मुताबिक वादीगण आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 2.01 पर ही काबिज है। जबकी हाल जमाबन्दीया में प्र्रतिवादीगण का नाम दर्ज है जो कतई गलत है।
5. यह है कि हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 0.01 में से 2 बीधा आराजी पर किसी भी प्रतिवादीगण को कोई कब्जा नही है। केवल वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 34 व 35 ही काबिज है इसलिए वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी ही अपने आपको श्रीमान से रजिस्ट्री व कब्जा के आधार पर खा[illegible]
6. यह है कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने अपने [illegible] 224 में सुधार कार्य करके फसल बोई हुई है। प्रशासन संध गांव के अभि[illegible] शिविर में जब वादीगण अपने खाते अलग करवाने के लिये राजस्व रिक[illegible] जानकारी की तो पता चला की रजिस्ट्री के मुताबिक दक्षिण की [illegible] है उस खसरा नम्बर 224 में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है जो [illegible] है। खिलाफ मौका है।
7. यह है कि प्रतिवादीगण का बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत [illegible]द्राज कर देने पर उनकी नियत में बदयान्ति आ नई है। प्रतिवादीगण ने गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते हुये वादीगण को बेदखल करने व खसरा नम्बर 224 का बेचान करने की वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.31 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

दिनांक 24.12.2010 को ऐलानिया धमकी दी है। तब वादीगण ने समस्त राजस्व रिकोर्ड की नकूलात हालिस की व दावा घोषित कराने खातेदार आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 2.01 बिस्वा में से 2 बीधा व दुरूस्त इन्द्राज बय हु0ई0 दवामी करना लाजमी आया है।

8. यह है कि प्रतिवादीगण मूठ मर्द व लडाकू प्रवति के आदमी है जो कानून कायदे की कतई परवाह नही करते है गलत इन्द्राज से उनके मन में बेईमानी आ गई बेईमानी आ जाने के कारण यदि आराजी खसरा नम्बर 224 को खुर्द–बुर्द व मुन्तकिल कर देते है तो वादीगण को अजहद नुकसान हो गा जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नही आंकि जा सकती है वादीगण के बह कूको पर कूठाकरघाट होगा।

वादी द्वारा वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया कि –
(अ) करार दिया जावे की रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17.06.1968 के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 202/1 रकबा 4 बीधा 6 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 203 रकबा 9 बीधा वाके ग्राम सूरजपूरा तहसील मुण्डावर में विक्रेता के कहे मुताबिक तरफ दक्षिण हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 2 बीधा 1 बिस्वा में से 2 बीधा आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा के आधार पर वादीगण को एक बिधा व तरतीबी प्रतिवादीगण को 1 बिधा आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।
या विकल्प में उक्त साबिक आराजी के हाल खसरा नम्बरान 175/1.10, 176/1.15, 221/2.01, 222/1.19, 223/3.01 एवं 224/2.01 बिस्वा वाके ग्राम सूरजपुरा में से रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17.06.1968 के आधार पर 2 बीधा आराजी का वादीगण को 1 बीधा व तरतीबी प्रतिवादीगण को 1 बिधा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व बन्दोबस्त विभाग ने जो प्रतिवादीगण का नाम गलत इन्द्राज किया है उसे एवं हाल जमाबन्दीयो में दर्ज गलत इन्द्राज को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का अमल दर्ज किया जावे।

2. दावा दिनांक 06.01.20211 को दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सतीस यादव उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण सं0 01 की ओर से श्री गंगाराम पटेल अधिवक्ता उपस्थित।
3. प्रतिवादीगण सं0 01 की ओर से जवाब दावा रहा कि –
   1– यह है कि जिम्मन सं0 01 बाबत आराजी है स्वीकार है शेष कथन गलत है। स्वीकार नही है। दावा गलत तथ्यो पर दायर किया है।
   2– यह है कि अर्जीदावा का जि.नं. 2 बाबत मिलान क्षेत्रफल है जो बाबत गौर अदालत श्रीमान है।
   3– यह है कि अर्जीदावा का जि.नं. 3 गलत है स्वीकार नही है वादी ने गलत तथ्य दर्ज किये है। उक्त आराजी मिन प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मौके पर काबिज है काश्त कर रही है। वादी का कोई लेना देना नही है।
   4– यह है कि जिम्मन सं0 04 अस्वीकार है वादी का कोई लेना देना नही है।
   5– यह है कि अर्जीदावा का जि.नं 5 गलत है स्वीकार नही है वादी कोई खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।
   6– यह है कि अर्जीदावा का जि.नं. 6 गलत है स्वीकार नही है वादी कोई हक उक्त आराजी पर नही है।
   7– यह है कि अर्जीदावा का जि.नं 7 गलत है स्वीकार नही है वादी को दुरूस्ती करने का अधिकारी नही है।
   8– यह है कि अर्जीदावा का जि.नं 8 गलत है स्वीकार नही है।
   9– यह है कि अर्जीदावा का जि.नं 9 गलत है स्वीकार नही है।
   10– यह है कि अर्जीदावा का जि.नं 10 गलत है स्वीकार नही है।
   11–यह है कि अर्जीदावा का जि.नं 11 गलत है स्वीकार नही है।
   12–यह है कि अर्जीदावा का जि.नं 12 बाबत गौर अदालत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.31 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

13—यह है कि अर्जीदावा का जि.नं 13 गलत है स्वीकार नही है।
14—यह है कि अर्जीदावा का जि.नं 14 बाबत गौर अदालत है।
15—यह है कि जिम्मन सं0 15 बाबत प्रार्थना गलत है स्वीकार नही है। वादी कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि दावा मय हर्जा खर्चा के खारीज फरमाया जावे।

4. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित भूमि से संबंधित साबिक व हाल राजस्व रिकॉर्ड के सुसंगत दस्तावेज यथा नकल जमाबन्दी संवत 2018 प्रदर्श—1, सत्यप्रतिलिपि बैयनामा दिनांक 17.06.1968 प्रदर्श—2, जमाबन्दी सम्वत 2064—67 किता 7 प्रदर्श—3 लगायत 09, नक्शा ट्रेस सन 1976 प्रदर्श—10, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 किता 2 प्रदर्श—11, मिशल बन्दोबस्त सम्वत 2029 किता 3 प्रदर्श—12 लगायत 14, नामान्तकरण संख्या 113 दिनांक 25.09.1980, प्रदर्श—15, जमाबन्दी सम्वत 2034 प्रदर्श—16, जमाबन्दी सम्वत 2037 प्रदर्श—17 वाके ग्राम सूरजपुरा तहसील मुण्डावर प्रदर्शित कराये गये।

5. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न **तनकीयात** कायम की गई—

1— आया साबिक खसरा नम्बर 201/1 रकबा 4 बीधा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 203 रकबा 9 बिस्वा में से क्रमशः1—1 बीधा कुल 2 बीधा आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगणों की जरिये रजिस्ट्रड बयनामा दिनांक 17.06.1968 के तरफ दक्षिणी डोल पर रूडा के सहारे सहारे खरीद शुदा आराजी है।

—: जिम्मे वादी

2— आया भू प्रबध विभाग द्वारा बनाये गये हाल खसरा नम्बर में बयनामा दिनांक 17.06.1968 से बताये गये स्थान पर खसरा नम्बर 224 रकबा 2 बीधा 1 बिस्वा पैमूद किया जिसपर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण लगभग में काबिज है। इसलिए खसरानम्बर 224 रकबा 2 बीधा 1 बिस्वा मे से 2 बीधा आराजी से असल प्रतिवादीगण का राजस्व रिकोर्ड में हजफ किया जाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण जरिये इश्तकरारहक या तकासमा आराजी के अपने आय को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

—: जिम्मे प्रतिवादी

3— दीगर दादरी ?

बहस एकपक्षीय वादी की सुनी गई बहस में अभिकथन रहे की साबिक खसरा नम्बर 202/1 से खसरा नम्बर 221, 222, 223, 224 व साबिक खसरा नम्बर 203 से 175, 176, 222, 223 पैमूद हुए है। जनक सिंह ने खसरा नम्बर 202/1 में से 1 बीधा व 203 मेंसे 1 बीधा विक्रय की है। दक्षिण की तरफ रूडा के सहारे सहारे छाजूराम पुत्र चुन्ना व छीतर पुत्र कालू रजिस्ट्री का नामान्तकरण 113 की खुल चुका है। अतः खसरा नम्बर 224 में से 02 बीधा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अन्य विकल्प में साबिक आराजी के हाल खसरा नम्बरान 175, 176, 221, 222, 223, 224 में से रजि0 बैयानामा के आधार पर 02 बीधा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

6. वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का [illegible] किया गया।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन [illegible] किया गया। तनकी पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है—

साबिक खसरा नम्बर 201/1 रकबा 4 बीधा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 203 रकबा 9 बिस्वा में से क्रमशः1—1 बीधा कुल 2 बीधा आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगणों की जरिये रजिस्ट्रड बयनामा दिनांक 17.06.1968 के तरफ दक्षिणी डोल पर रूडा के सहारे सहारे खरीद शुदा आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.31 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया की साबिक खसरा नम्बर 201/1 में विक्रेता ने केवल 1 बीघा एवं साबिक खसरा नम्बर 203 में विक्रेता ने 01 बिघा भूमि का बेचान किया था। वादी यह तनकी राजस्व रिकोर्ड के आधार पर सिद्ध नही कर पाया है। उक्त साबिक खसरा नम्बरान के अलग अलग नम्बर बने है अतः वादी को खसरा नम्बर 224 में 2 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता है।
अन्य विकल्प में साबिक आराजी के हाल खसरा नम्बरान 175, 176, 221, 222, 223, 224 में से रजि0 बैयानामा के आधार पर 02 बीघा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अनुतोष पर पत्रावली एवं रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादी के पक्ष में उक्त बैयनामा का नामातकरण खुल चुका है। उसके बाद से लेकर वर्तमान अवधि तक राजस्व रिकोर्ड पत्रावली में वादी के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। वादी द्वारा इस बिन्दू को राजस्व रिकोर्ड के आधार पर सिद्ध करने में असफल रहा। अपने वाद पत्र को उपरोक्तानुसार स्पष्ट रूप से साबित नही किये जाने की स्थिति में वादी के वाद का यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाता है।

—:: आदेश ::—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवम वादीगण द्वारा अपने वाद को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित नहीं कर पाये जाने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

09.03.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.31 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर(अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
05/2011	06.01.2011	09.03.2021

उनवान

1 हरिकिशन पुत्र छाजूराम
2 जगमाल सिंह पुत्र छाजूराम
3 छोटा देवी पुत्री छाजूराम
4 भगवती पुत्री छाजूराम
5 सरला दवी पुत्री छाजूराम जातियान अहीरान निवासीयान चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

–: वादीगण

बनाम

1 रावत सिंह पुत्र मकतूल सिंह
2 मोहन सिंह पुत्र मकतूल सिंह
3 उदयभान पुत्र पूर्ण सिंह जातियान राजपूत निवासी सूरजपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
4 रामेश्वर पुत्र दुल्लाराम
5 सिंगाराम पुत्र दुल्लाराम
6 घासीराम पुत्र दुल्लाराम
7 टीकमचन्द पुत्र दुल्लाराम
8 भोपाल उर्फ लालसिंह
9 लक्ष्मी पुत्री दुल्लाराम
10 दलीप पुत्र गणेशी जाति अहीर
11 बलबीर पुत्र गणेशी
12 सतीश पुत्र गणेशी
13 राजेश पुत्र धीगंड
14 सरजीत पुत्री धीगंड
15 मु0 सुमन पुत्री वेदपाल
16 छत्रपाल पुत्र वेदपाल
17 तेजपाल पुत्र वेदपाल
18 रामपत पुत्र यादराम
19 छोटेलाल पुत्र यादराम
20 लालसिंह पुत्र यादराम
21 रामौतार पुत्र रोशनलाल
22 जसराम पुत्र रोशनलाल
23 जयराम पुत्र रोशनलाल
24 बाबूलाल पुत्र रोशनलाल
25 जीवराज पुत्र रोशनला
26 बिशम्बर पुत्र प्रभाती
27 रत्तीराम पत्रु कालू जाति अहीरान निवासीयान चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
28 श्रीमान तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर मुण्डावर अलवर
29 श्रीमान राज0 सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अलवर
30 श्रीभान सिंह पुत्र पूर्ण सिंह
31 दशरथ सिंह पुत्र पूर्ण सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.31 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

32 मीरा पुत्री पूर्ण सिंह
33 कलावती पुत्री मकतूल सिंह जाति राजपूत निवासी सूरजपूरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

असल प्रतिवादीगण

34 किताब बेवा महेन्द्र
35 बिरेन्द्र पुत्र महेन्द्र जाति अहीर निवासी चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावाः— इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राज. काश्तकारी अधि0

.....

—: पर्चा डिक्री :—

दिनांक :— 09.03.2021

वादी की ओर से एडवोकेट श्री सतीश यादव व प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट गंगाराम पटेल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.03.2021 को रामसिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी :—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवम वादीगण द्वारा अपने वाद को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित नहीं कर पाये जाने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना—अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 09.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

09.03.2021

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.31 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested